



भारत-बांगलादेश सम्बन्ध एवं भारतीय सुरक्षा

प्रा. के. बी. पाटील, Ph. D.

सहयोगी प्राध्यापक विभाग प्रमुख संरक्षण व सामरिक शास्त्र, श्रीमती. एच. आर. पटेल कला महिला, महाविद्यालय, शिरपूर जि. धुळे'



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

❖ प्रस्तावना :-

1970] दशक में उक और पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की सॉर्ट-गाँठ से दक्षिण एशिया में शक्ति-सन्तुलन, अस्त-व्यस्त हो रहा था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के दो सम्भागों के बीच झगड़े का प्रभाव भारत पर आ पड़ा था। 1970 में हुए आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहेमान की अवामी लीग ने बहुमत प्राप्त किया, परन्तु सैन्य राजनीतिक व्यवस्था ने उन्हें सरकार बनाने से वंचित कर दिया, तत्पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिती उत्पन्न हो इह, जिससे निपटने के लिए सेना पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर कहर ढाने लगी। परिणामस्वरूप भारत में शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया। पूर्वी बंगाल में जो कुछ हो रहा था। परिणामस्वरूप भारत में शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया। पूर्वी बंगाल में जो कुछ हो रहा था उसे देखते हुए भारत न तो तटस्थ रह सकता था और न विरक्त ही। भारत मुक्तवाहिनी सेना से मिलकर एक सशक्त सैनिक हस्तक्षेप द्वारा 16 दिसंबर 1971] बांगलादेश की स्थापना कराई।¹ यह विश्व के मनाचित्र पर प्रभुसत्ता-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य के रूप में बांगलादेश का प्रादुर्भाव एक ऐतिहासिक महत्व की घटना थी, क्योंकि इसने दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के स्वरूप में दूर तक तथा गुणात्मक परिवर्तन कर दिया। इसके प्रादुर्भाव ने धार्मिक मान्यता पर आधारित द्विराष्ट्र विचारधारा को घातक चोट पहुँचाई।² बांगलादेश का उद्भव भी भारत के सक्रिय समर्थन एवं भारत-पाक युद्ध 1971 के दौरान हुआ जो विश्व में अपने तरह की अभूतपूर्व घटना थी। अस्तित्व में आने के बाद से ही बांगलादेश ने अपने वैदेशिक सम्बन्ध भारत की तरह शान्ति³ सहअस्तित्व व गुट निरपेक्षता के आधार पर विकसित करने का निश्चय किया, जिसका प्रमुख कारण दोनों देशों के दृष्टिकोणों व सिद्धान्तों में समानता होना रहा है।³

❖ भारत बांगलादेश सम्बन्ध :-

बांगलादेश] निर्माण के बाद आज तक दोनों देशों के सम्बन्धों में कभी समीपता तथा कभी दूरियाँ देखी जा सकती है। भारत प्रथम राष्ट्र था जिसने इस नवोदित राष्ट्र को मान्यता प्रदान की और राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए। 6 दिसंबर, 1971] ही भारत ने बांगलादेश को मान्यता दे दी थी। स्वतंत्र बांगलादेश के निर्माण के समय से लेकर 1975 तक भारत-बांगलादेश सम्बन्ध घनिष्ठ मित्रता के रहे। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति दोनों देशों के दृष्टिकोणों और विचारों में काफी समानता रही। दोनों ही देश धर्म निरपेक्षता, पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करते रहे तथा हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाए रखना चाहते थे। शेख मुजीबुर रहेमान के कार्यकाल में भारत और बांगलादेश के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए 19 मार्च 1972] 25 वर्षीय मैत्री सन्धि हुई। इस सन्धि के द्वारा दोनों देशों ने एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे की सीमाओं का आदर करने, विश्व शांति और सुरक्षा को दृढ़ बनाने, आदि का संकल्प किया। सन्धि में यह व्यवस्था भी की गई कि

यदि दोनों देशों मे कोई मतभेद हो जाएगा तो उसे आपसी बातचीत द्वारा हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके उपरांत अन्य आर्थिक तथा सांस्कृतिक समझौते किए गए।⁴

1982 में भारत तथा बांगलादेश एक 'संयुक्त आर्थिक आयोग' की स्थापना के लिए राजी हुए। 1992 के तीन बीघा गिलियारा समझौते के अन्तर्गत भारत ने काफी रियायतें दी। 1996 के भारत बांगलादेश ने ऐतिहासिक गंगा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1987 के जातीय संघर्ष के कारण आए लगभग 57,000 चकमा शरणार्थियों को त्रिपुरा से वापस लेने के लिए 1993 में बांगलादेश ने चकमा नेताओं के साथ समझौता किया।⁵ जिसके फलस्वरूप चमका शरणार्थियों की वापसी की घोषणा की गई जिसका व्यापक स्वागत किया गया। इस प्रकार दोनों देशों के द्वारा अपनाई गई परस्पर सहयोग और विश्वास की नीति पर चलने के कारण भारत-बांगलादेश के सम्बन्धों में सुधार हुआ।⁶ पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1991 में भारत ने बांगलादेश के साथ कोलकाता और ढाका के मध्य बस सेवा प्रारम्भ की तथा 2001 में यात्री रेलगाड़ी सेवा प्रारम्भ की। सितम्बर 2004 में सम्पन्न हुए समझौते में 6.5 किमी के अधिहित जटिल सीमा-विवाद को, हल करने का प्रयास किया गया है। जो कि हमारे सम्बन्धों में एक नया आयाम है।⁷

फरक्का मुद्दा गंगा के पानी के उचित बँटवारा को लेकर था तथा बांगलादेश ने शुरू में इसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण भी किया। परन्तु 1996 में तत्कालिन भारतीय प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौडा तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फरक्का गंगा जल बंटवारे पर 30 वर्षों के लिए ऐतिहासिक समझौता करके पिछले दो दशकों से आ रहे विवाद का अन्त कर दिया। न्यू-मूर द्वीप 1970 से भारतीय अधिकार क्षेत्र में बना हुआ है। जब बांगलादेश का अस्तित्व भी नहीं था। अतः इस पर उसका दावा सर्वथा बेमानी है।⁸ वर्षों से चले आ रहे तीन बीघा गिलियारा-विवाद का अन्त भारत ने बांगलादेश को 1992 में सौंप कर दिया। भारत तथा बांगलादेश मध्य विवाद, सीमा-विवाद है। लगभग 4096 किमी लम्बी सीमा को सर साइरिल रेड किलफ ने तय किया था। अभी भी 6.5 किमी. लम्बी सीमा तय नहीं है जोकि मुख्य तनाव का कारण है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल जिले में स्थित 'पिरदीवाह' जगह है, जहाँ बांगलादेश अपना दावा जताता है। लेकिन यह भारत के कब्जे मे है, और बांगलादेश से सेटे असम के कुरीग्राम जिले में स्थित 'बोराईवाड़ी' है जो बांगलादेश के नियन्त्रण में है, मुख्य संघर्ष का केन्द्र है। इसी क्षेत्र में हुए 2001 में बी.एस.एफ. के 16 जवानों का बांगलादेश राइफल्स द्वारा मारे जाने की घटना से आपसी विश्वास निचल स्तर पर पहुँच गया था।⁹ सितम्बर 2004 में भारत तथा बांगलादेश से हो रहे शरणार्थियों का भारत में अवैधानिक प्रवेश एक बिकट समस्या है।

❖ घुसपैठियोंकी समस्या :-

भारत बांगलादेश के मध्य सर्वाधिक संवेदनशील मुद्दा घुसपैठियों का रहा है। पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर राज्यों में राजनेताओं ने अपने निहित स्वार्थों के कारण मुस्लिम आबादी में वृद्धि हेतु जो चाल चली उसके फलस्वरूप उन्हें तत्कालिक राजनीतिक लाभ भले मिल गया हो, किन्तु राष्ट्रीय हितों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धातक ही सिद्ध हो रहा है। वोट बँक बन चुके इन अवैध अप्रवासी लोगों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना एक दुरुह कार्य हो गया है। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री. अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार किया कि 'फिलहाल असम से बांगलादेशियों को निकाल पाना असम्भव है।'¹⁰ खतरनाक बोझ बन चुके बांगलादेशी घुसपैठियों के कारण श्री बाजपेयी ने समस्या के निदान के लिए बांगलादेशियों को 'वर्किंग परमिट' देने की बात की थी, किन्तु इस समस्या की जड़ें इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि शीघ्रता से इसे उखाड़ना सम्भव नहीं है।

गृहमंत्रालय की एक रिपोर्ट के आधार पर 1971 के बाद से अब तक लगभग 30 लाख बांगलादेशी नागरिकों ने अपने को अवैध रूप से असम में स्थापित कर लिया है। वर्ष 1971 में असम में मुसलमानों की संख्या 24 प्रतिशत थी जो बढ़कर 45 प्रतिशत तक पहुँच गई है। इनमें अधिकाँश बांगलादेशी अवैध अप्रवासी मुस्लिम है। बांगलादेशी घुसपैठियों के कारण उत्पन्न समस्याएँ कितनी भीष्मी है, इस बात का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के बाद असम देश का दूसरा ऐसा राज्य बनने की स्थिती में है जहाँ के मूल निवासी अल्पसंख्यक बनने के कगार पर है। असम की 126 विधान सभा सीटों पर बांगलादेशी घुसपैठियों निर्णायक भूमिका में है। गृहमंत्रालय में एक सर्वे के अनुसार, "औसतन 1000 बांगलादेशी नागरिक प्रतिदिन भारत में घुसपैठ कर रहे हैं।" तथा एक अनुमान के अनुसार भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांगलादेशी घुसपैठियों की संख्या 1 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है।¹¹

यह सर्वविदित है कि भारत पहले से ही अपनी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं के साथ आंतकवाद जैसी जटिल समस्याओं से जूझ रहा है और बांगलादेशी घुसपैठियों के आ जाने से समस्याएँ और भयावह हो गई है। बांगलादेशी -नागरिकों देश के अनेक क्षेत्रों में केवल राजनैतिक और सामाजिक समीकरण बदलने में ही समर्थ नहीं हो गए हैं, बल्कि वे कानून व व्यवस्था के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इसका समाधान गम्भीरतापूर्वक यथाशीघ्र करना होगा। अंत समय आ गया है कि यह समस्या और विभागीय रूप ले, इससे पहले ही भारत सरकार को सीमा पार से हो रही बांगलादेशी घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाते हुए त्वरित, व्यवहारिक एवं प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए।"¹²

❖ भारतीय सुरक्षा को खतरे :-

इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस देश को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए भारत ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तथा जिसके आजादी की खुशी को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है वही बांगलादेश आज पूर्वोत्तर भारत के अग्रवादियों के लिए चारागाह बन गया है।¹³ उल्फा और वोडो आंतकवादियों को बांगलादेश के चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र में शरण मिलती है। जहाँ आई.एस.आई. उन्हे प्रशिक्षण, हथियार और पैसा उपलब्ध कराती है। बांगलादेश में शरण लेने के उपरान्त उल्फा के आन्दोलन में ठोस परिवर्तन हुआ है। पहले उल्फा का आन्दोलन बांगलादेश घुसपैठियों के खिलाफ था, पर अब ऐसा नहीं है। इस बात से उल्फा तथा आई.एस.आई के गहरे सम्बन्धों के संकेत मिलते हैं।¹⁴ असल में आई.एस.आई को वहाँ जमाते इस्लामी तथा अन्य इस्लामी कट्टरपंथियों का पूरा सहयोग भी मिल रहा है।

भारतीय खुफिया एजेंसी का मानना है कि भारी मात्रा में छोटे हथियार बांगलादेश के जरिये भारत में आंतकवादी गुटों के हाथ लग रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सी.आई.ए. ने पुष्ट करते हुए आगाह किया है कि बांगलादेश की दक्षिणी तटीय सीमा और भारत से लगी उत्तरी सीमा पूरी तरह कानून विहीन (लॉ लेस) और हथियारों का धन्धा करने वाले गिरोहों का अड्डा हो गई है बांगलादेश के अधिकार क्षेत्र के दो द्विप 'कुतुबदिया' और 'सोनादिया' एक तरह से आंतकवादियों के कब्जे में ही हैं। इनके अलावा बांगलादेश में करीब पाँच हजार एसी अवैध हथियार फैक्ट्रियां हैं जहाँ विदेशी कलपुर्ज से अत्याधुनिक हथियार बनाए और बेचे जा रहे हैं। इनमें पिस्तौलों और एसॉल्ट राईफलों के साथ-साथ ग्रेनेड व रॉकेट लांचर तक बन रहे हैं।¹⁵ भारत का पूर्वोत्तर भाग सदैव से भारतीय सीमा का एक संवेदनशील भाग रहा है। इसका कारण भारत से विद्रोह करने वाले अनेकों विद्रोही संगठनों का यहाँ सक्रिय होना रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बांगलादेशी घुसपैठियों अधिकाधिक मात्रा में आकर बसते गए। आई.एस.आई. भी देशद्रोही गतिविधियों के कारण स्थिती और बत्तर होती गई।¹⁶

आई.एस.आई. पूर्वोत्तर राज्यों में तीन तरह की गतिविधीयाँ कर रही है। पहला, बांगलादेशी घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराने में सुविधा प्रदान कर रही है। साथ ही साथ भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाती रहती है। दूसरा, भारत विरोधी विभिन्न गुटों के आर्थिक मदद, प्रशिक्षण, गोला-बारूद तथा शस्त्रास्त्र देकर राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के लिए उनका मार्ग दर्शन करती है। एन.एस.सी.एन. (आईजैक मुझवा) गुट के आर्थिक सचिव खायो छुरे से पूछताछ के दौरान इस रहस्य का पता लगा कि उसने बांगलादेश स्थित पाक उच्चायोग से 10 लाख टका प्राप्त किया था। तीसरा, यह रुढ़िवादी, मुस्लिम संगठनों द्वारा धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने का कार्य करती है। "इन्स्टीट्यूट फॉर स्ट्रांजिक स्टडीज, ढाका ने स्ट्रेटजिक सीमान्त का सिद्धान्त विकसित किया है। जिसका उद्देश्य भारत से लगी सीमाओं का इस्लामीकरण करना है, और आतंकवादियों को भारत में प्रविष्ट करना है।" पाकिस्तान ने असम को मुस्लिम बहुल राज्य में बदलने का भी प्रयास एक संगठित मुहीम के माध्यम से किया था। एक समय पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जुलिफ्कार अली भुट्टो ने असम पर अपना अधिकार तक व्यक्त किया था।"¹⁷

बांगलादेश के समर्थन के कारण भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र में लावेन-तालिबान समर्थक इस्लामी चरमपंथियों का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत की 4,096 कि.मी. लम्बी सीमा बांगलादेश से लगती है।¹⁸ और इसके दोनों तरफ मदरसों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के पीछे भी इस्लामी कट्टरपंथियों और आई.एस.आई. का दिमाग माना जा रहा है। खासतौर पर बांगलादेश में जहाँ सन् 1999 में करीब, 7,122 पंजीकृत मदरसे थे, वही अब इनकी तादादत बढ़कर 64,000 हो गई है। जिन 195 कैम्पों में आई.एस.आई. के निगरानी में ट्रेनिंग दी जा रही है इनमें शेरपूर जिले में बडा गजनी, छोटा गजनी, चिलचारी और डिगिल कोरा के प्रशिक्षण शिविर खासतौर से उल्फा के लिए है। जिन 195 कैम्पों में आई.एस.आई. के निगरानी में ट्रेनिंग दी जा रही है शिविर खासतौर जिले में बडा गजनी, छोटा गजनी, चिलचारी और डिगिल कोरा के प्रशिक्षण शिविर खासतौर से उल्फा के लिए है। इसके अलावा बंदरका शेरपूर के शिविर त्रिपुरा के लिए और हलचड़ी प्रशिक्षण शिविर एशिया का सबसे पुराना, खूँखार तथा बडा जेहादी ट्रेनिंग शिविर है। इस प्रशिक्षण शिविर की निगरानी का जिम्मा खासतौर पर आई.एस.आई. के विशेष प्रशिक्षण मेजर जियाउद्दीन को दिया हुआ है।¹⁹

बांगलादेश को भारतीय उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए व्यापारिक रास्ता उपलब्ध कराना चाहिए। दोनों देशों के मध्य व्यापार, परिवहन, अधिसंरचना के क्षेत्र एवं उर्जा के सहयोग के लिए सम्बन्धों को अधिक बेहतर बनाना होगा। बांगलादेश की भूमि से संचालित आतंकवाद ने रिश्ते में तल्खी जरूर पैदा की है, परन्तु भू-मण्डलीयकरण के इस दौर में दोनों के अच्छे सम्बन्धों का बने रहना इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। सार्क के लिए किए गए 'मुक्त व्यापार समझौते' (साफ्टा) के लिए तथा बांगलादेश के बडे बाजार को देखते हुए आज भारत-बांगलादेश आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों में व्यापक एवं तीव्र विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं।²⁰

❖ सारांश :-

यदि बांगलादेश भारत द्वारा दिए गए सहयोग का ध्यान रखकर व्यवहार करता तो भी इसे भारत के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए था। परन्तु अभी तक तो उसकी तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। भारत के लिए अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा करने वाले बांगलादेश की करतूतों को नजरअंदाज किया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा, आन्तरिक शान्ति एवं आर्थिक सुदृढता के लिए घातक सिद्ध होगा। द्विपक्षीय सम्बन्धों का निर्वाह करने के लिए दोनों देशों की ओर से समान प्रयास होने चाहिए। दोनों देशों को एक दूसरे की

राष्ट्रीय सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता बनाए रखने में आपसी सूझ-बूझ और सहयोग का वातावरण सुजित करने का सच्चे मन से प्रयास करना होगा तभी भारत-बांगलादेश सम्बन्ध प्रगाढ़ हो सकेंगे।

आज जब पूरी दुनिया एक स्वर से आतंकवाद का विरोध कर रही है। फिर भी बांगलादेश का आतंकवाद को समर्थन जारी रखना एक भयानक विश्व की तस्वीर पेश करता है। आज विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों को विश्वास में लेकर बांगलादेश से नियमित वार्ता की जरूरत है तथा बांगलादेश के आतंकवाद रोकने की असमर्थता दर्शाने पर यू.एन.ओ. को विश्व संस्था का कर्तव्य निभाते हुए स्वयं यह कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए और बांगलोदश से आंतकवादी शिबिरों को नष्ट करके उनका पूरी तरह से उन्मूलन करना चाहिए। जिससे एक शान्तिपरक तथा सुरक्षित विश्व का निर्माण हो सके, और भारत की अंतर्गत एवम् बहिर्गत सुरक्षा बनी रहे।

❖ संदर्भ :-

- डॉ. बी. एल. फडिया 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' 2003, पृ. 291
यू.आर. घई एवं वी. घई, 'भारतीय विदेश नीति' 2001 पृ. 235
डॉ. ए. पी. शुक्ल, 'रक्षार्थ', वाल्यूम 6-7, अंक 1, जनवरी 2006, पृ. 21
विंग कमाण्डर एच. के. पटेल इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया, अक्टूबर 24, 1972
डॉ. प्रदीप कुमार यादव 'रक्षार्थ', वाल्यूम 4/5 जून 2003, पृ. 91
के. एन शर्मा, 'चौथी क्रांती के बाद भारत-बांगलादेश' रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ अक्टूबर, 2004 पृ. 50
प्रानिकल मैगजीन, अक्टूबर 2004, पृ. 50
सिविल सर्विसेस टूडे मैगजीन, नवम्बर 2004, पृ. 18
इंडिया टूडे, अप्रैल 20, 2001
हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली, अक्टूबर 25, 2002
प्रोसीडिंग ऑफ XIV नेशनल कॉन्फ्रेस फॉर डिफेन्स स्टडीज, एन. सी. डी. एस. हेड क्वार्टर, इलाहाबाद, पृ. 101
दी टाईम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, अक्टूबर 14, 2001
दैनिक जागरण, सम्पादकीय पृष्ठ, नवम्बर, 5, 2004
दी. टाईम्स ऑफ इण्डिया अक्टूबर 19, 2004
सहारा समय, सितम्बर 25, 2004
एस. के. घोष, 'पाकिस्तान : आई.एस.आई. नेटवर्क ऑफ टेरर इन इण्डिया' नई दिल्ली, 1980, पृ. 54
दी इयर बुक ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स 1971, पृ. 54
परीक्षा मंथन पत्रि, भा०- 1 (2001-02). पृ. 2
सहारा समय अक्टूबर, 16, 2004
डॉ. बी. एल. फडिया, 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' 2003 पृ. 290